भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4790

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान

4790. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के समक्ष आ रहे समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे के तौर-तरीकों का आकलन और पूर्वानुमान करने के लिए कोई राज्य-वार अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिस्कॉम्स अभी भी घाटे का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह नुकसान सरकार के पूर्वानुमान के अनुरूप है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को उक्त नुकसान को कम करने के उपायों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक विशेष समिति के गठन के संबंध में बिहार राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) प्रत्येक वर्ष विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन संचालित करता है और "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन पर रिपोर्ट" प्रकाशित करता है, जिसमें एटी एंड सी हानियों का मूल्यांकन भी शामिल होता है। वर्ष 2019-20 के लिए उनकी नवीनतम "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन पर रिपोर्ट" के अनुसार, देश की वार्षिक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां 20.93% थीं। बिहार सहित एटी एंड सी हानियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

बिहार के लिए एटी एंड सी हानियां 40.38% है जबकि एटी एंड सी हानियों के लिए राष्ट्रीय औसत 20.93% है। उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण मुख्य रूप से प्रबंधकीय कमियां हैं। ये हानियां मुख्य रूप से टैरिफ में लागत नहीं दर्शाने; अपर्याप्त बिलिंग और संग्रहण क्षमता; राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत देय राशियों का भुगतान न करने; राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा घोषित सब्सिडियों का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के कारण हैं। ये सभी पहलू अभिशासन में कमियों से जुड़े हैं। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत सहायता राज्यों और उनके डिस्कॉमों की एटीएंडसी हानि को कम करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर सशर्त होगी।

(च) एवं (छ): जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4790 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटीएंडसी हानियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
राज्य क्षेत्र	**22.15**	**22.57**	**21.73**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**19.34**	**23.39**	**22.71**
अंडमान एवं निकोबार पीडी	19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	**14.26**	**25.67**	**10.77**
एपीईपीडीसीएल	11.18	18.47	6.64
एपीएसपीडीसीएल	16.04	29.66	13.17
अरुणाचल प्रदेश	**58.36**	**55.50**	**45.71**
अरुणाचल पीडी	58.36	55.50	45.71
असम	**17.64**	**20.14**	**23.37**
एपीडीसीएल	17.64	20.14	23.37
बिहार	**33.51**	**33.30**	**40.38**
एनबीपीडीसीएल	30.46	26.97	29.50
एसबीपीडीसीएल	35.53	37.81	48.64
चंडीगढ़	**4.00**	**4.21**	**4.60**
चंडीगढ़ पीडी	4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	**22.50**	**29.81**	**23.68**
सीएसपीडीसीएल	22.50	29.81	23.68
दादरा एवं नगर हवेली	**6.55**	**5.45**	**3.56**
डीएनएचपीडीसीएल	6.55	5.45	3.56
दमन और दीव	**17.01**	**6.19**	**4.07**
दमन और दीव पीडी	17.01	6.19	4.07
गोवा	**13.52**	**15.69**	**13.99**
गोवा पीडी	13.52	15.69	13.99
गुजरात	**12.96**	**13.99**	**11.95**
डीजीवीसीएल	6.60	5.90	6.22
एमजीवीसीएल	11.73	9.81	11.31
पीजीवीसीएल	19.64	21.21	19.22
यूजीवीसीएल	9.32	12.01	6.88
हरियाणा	**21.78**	**18.08**	**18.19**
डीएचबीवीएनएल	19.16	15.34	16.37
यूएचबीवीएनएल	25.38	22.04	20.68
हिमाचल प्रदेश	**11.08**	**12.46**	**11.68**
एचपीएसईबीएल	11.08	12.46	11.68
जम्मू एवं कश्मीर	**53.67**	**49.94**	**60.46**
जेकेपीडीडी	53.67	49.94	60.46
झारखंड	**32.48**	**28.60**	**36.96**
जेबीवीएनएल	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	**15.61**	**19.83**	**17.59**
बेसकॉम	13.17	15.79	17.91
चेसकॉम	13.20	20.03	21.72
गेस्कम	16.39	27.38	17.87
हेस्कॉम	22.84	24.88	15.31
मेस्कॉम	14.23	18.12	15.33
केरल	**12.81**	**9.10**	**14.47**
केएसईबीएल	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप	**19.15**	**23.33**	**14.28**
लक्षद्वीप ईडी	19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	**30.51**	**36.64**	**30.38**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	39.00	45.05	37.17
एमपीपीएकेवीवीसीएल	18.69	25.28	20.93
एमपीपीओकेवीवीसीएल	34.84	40.38	33.89
महाराष्ट्र	**14.38**	**16.23**	**19.92**
एमएसईडीसीएल	14.38	16.23	19.92

मणिपुर	**27.50**	**38.17**	**20.27**
एमएसपीडीसीएल	27.50	38.17	20.27
मेघालय	**41.19**	**35.22**	**34.32**
एमईपीडीसीएल	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	**22.44**	**16.20**	**20.66**
मिजोरम पीडी	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	**41.36**	**40.06**	**52.93**
नागालैंड पीडी	41.36	40.06	52.93
ओडिशा	**33.59**	**31.55**	**28.94**
सीईएसयू	35.49	32.49	29.03
नेस्को यूटीलिटी	24.41	24.61	24.45
साउथको यूटीलिटी	40.66	41.33	36.05
वेस्को यूटीलिटी	34.90	30.88	28.81
पुद्दुचेरी	**19.19**	**19.77**	**18.45**
पुद्दुचेरी पीडी	19.19	19.77	18.45
पंजाब	**17.31**	**11.28**	**14.35**
पीएसपीसीएल	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	**24.07**	**28.25**	**29.85**
एवीवीएनएल	23.14	23.37	22.08
जेडीवीवीएनएल	23.49	35.20	38.26
जेवीवीएनएल	25.19	25.73	27.83
सिक्किम	**32.48**	**41.83**	**28.88**
सिक्किम पीडी	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	**19.47**	**17.86**	**15.00**
टैंजेडको	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	**19.08**	**17.80**	**21.54**
टीएसएनपीडीसीएल	23.67	26.66	34.08
टीएसएसपीडीसीएल	17.16	13.79	15.57
त्रिपुरा	**30.31**	**35.49**	**37.85**
टीएसईसीएल	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	**37.80**	**33.19**	**30.05**
डीवीवीएनएल	38.89	37.12	39.74
केस्को	22.52	16.49	15.49
एमवीवीएनएल	45.29	40.62	34.14
पीएवीवीएनएल	25.97	22.27	18.64
पीयूवीवीएनएल	47.89	39.64	34.24
उत्तराखंड	**16.34**	**16.96**	**20.35**
यूपीसीएल	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल	**26.69**	**23.00**	**20.40**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	**9.36**	**8.28**	**8.00**
दिल्ली	**9.93**	**9.17**	**8.19**
बीआरपीएल	10.53	9.11	8.15
बीवाईपीएल	10.83	10.60	8.57
टीपीडीडीएल	8.39	8.17	7.98
गुजरात	**6.53**	**5.20**	**4.59**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	7.44	5.81	5.07
टोरेंट पावर सूरत	4.43	3.71	3.43
महाराष्ट्र		**8.20**	**9.52**
एईएमएल		8.20	9.52
उत्तर प्रदेश	**9.08**	**9.36**	**9.76**
एनपीसीएल	9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल	**10.74**	**8.95**	**9.06**
सीईएससी	11.25	9.42	9.30
आईपीसीएल	3.20	2.68	6.06
कुल जोड़	**21.50**	**21.74**	**20.93**

****